राजस्थान सरकार
न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा
(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 90/2022 निगरानी

रामपाल पुत्र रामा हरिजन निवासी पांसल तहसील व जिला भीलवाडा मृतक के बजाय राधेश्याम पुत्र भैरूलाल हरिजन निवासी पांसल तहसील व जिला भीलवाडा(रजिस्टर्ड वसीयती)

–निगराकार

बनाम

1. विष्णु पुत्र मुला खटीक निवासी पांसल तहसील व जिला भीलवाडा
2. ग्राम पंचायत पांसल जरिए सचिव
3. भारत पुत्र स्व रामपाल हरिजन निवासी पांसल
4. शंकर पुत्र स्व रामपाल हरिजन निवासी पांसल
5. भैरूलाल पुत्र स्व रामपाल हरिजन निवासी पांसल
6. लच्छमा पुत्री स्व रामपाल हरिजन निवासी पांसल

–गैर निगराकार

निगरानी अंतर्गत धारा–97 राज० पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध ग्राम पंचायत पांसल द्वारा जारी पट्टा संख्या 30/05.11.2019

उपस्थित – 1. श्री मुकेश धोबी, अधिवक्ता–निगराकार
2. श्री सत्यनारायण सोमाणी, अधिवक्ता–गैर निगराकार संख्या 1

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय

दिनांक 05/03/2026

निगराकार द्वारा यह निगरानी विरूद्ध गैर निगराकारान अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज अधिनियम 1994 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गैर निगराकार–2 ने एक बापी पट्टा निगराकार के पक्ष में 19/10/1975 को जारी किया हुआ है जिसके पश्चिम व दक्षिण में रास्ता, पूर्व में मूला हरिजन, उत्तर में बालु,लादु स्थित है। उक्त जायदाद सदैव निगराकार के उपयोग–उपभोग में है, वर्तमान में उक्त पडौस पूर्व मूला, उत्तर कनीराम खटीक व दक्षिण,पश्चिम में आम रास्ता है। निगराकार वर्तमान में वृद्ध होकर केवल हस्ताक्षर करना जानता है,पढना नहीं जानता है। स्वास्थ्य कारणों से निगराकार अपने पौत्र राधेश्याम के पास भीलवाडा शहर में रहने लग गया। विवादित जायदाद के पश्चिमि हिस्से में बनी जायदाद को गैर निगराकार–1 को रहवास वास्ते किराये से दे दी। कोरोनाकाल के बाद स्वास्थ्य ठीक होने के बाद जब निगराकार अपनी विवादग्रस्त जायदाद पर गया तेा गैर निगराकार–1 ने नव निर्माण करा दिया। इस प्रकार कूटरचित पटटा दिनांक 05.11.2019 की जानकारी हुई। जब पंचायत ने 1975 में ही निगराकार को पट्टा जारी कर रखा है तो यह 2019 में पटटा जारी करना प्रारम्भ से ही शून्य व अवैध होकर काबिले निरस्तनीय है। निगराकार का प्रारम्भ से ही कब्जा व दखल चला आ रहा है तथा गैर निगराकार संख्या 1 का विवादित जायदाद पर कभी कोई किसी प्रकार का पुराना कब्जा व दखल नहीं रहा है। पंचायत द्वारा बिना कोई जांच पडताल

5.3.26
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

किए ही गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में तथाकथित पट्टा जारी कर, भारी भूल की गई है। जब पूर्व में ही पट्टा जारी किया जा चुका है तो सक्षम न्यायालय से खारिज किए बिना नया पटटा जारी नहीं किया जा सकता। गैर निगराकार–1 कें पक्ष में जारी तथाकथित पट्टा विलेख राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के नियम 157(ख) के तहत 50 वर्षों से अधिक पुराना कब्जा होने के आधार पर जारी किया गया है जबकि यह वास्तविक रूप से यह मिथ्या है। गैर निगराकार 1 जो अभी कुछ वर्षों से बहैसियत किराएदार रहवास करता चला आ रहा है, ने मात्र विवादित जायदाद को हडपने के दुराशय से मिलीभगती से प्रश्नगत पट्टा जारी करवाया। निवेदन है प्रश्नगत पट्टा खारिज फरवामावें।

प्रकरण पंजीबद्ध की जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किए गए। गैर निगराकार–1 के अधिवक्ता दौराने बहस उपस्थित।

दौराने बहस गैर निगराकार–1 के अधिवक्ता ने बताया कि 1975 में जारी पट्टे के पडौस व 2019 के पडौस में अंतर है। पंचायत द्वारा विधिवत रूप से प्रश्नगत पट्टा जारी किया गया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया गया कि प्रश्नगत पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत रूप से जारी किया गया है। अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत सारहीन होने के कारण अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत पांसल को प्रेषित की जाए।

निर्णय आज दिनांक 05.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

5.3.26

(रणजीत सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा